# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 15/111

प्रताप आत्मज श्री चन्दरिया, जाति बलाई निवासी डोबडा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. ग्यारसी राम उर्फ ग्यारस्या आत्मज लक्ष्मण जाति बलाई (मृतक) जरिये कायममुकामान— श्री मोडू लाल आत्मज श्री ग्यारसीराम जाति बलाई निवासी डोबडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी दरा स्टेशन तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. डालू आत्मज श्री काना जाति मीना निवासी डोबडा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा जरिये कायममुकाम सलोचना पुत्र डालू पत्नी धनराज जाति मीना निवासी ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 15/230

सुलोचना बाई पत्नी धनराज एवं पुत्री डालू जी आयु 45 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मोत्या बाई बेवा ग्यारसीराम जाति बलाई (नाम तर्क )
2. मोडू लाल आत्मज श्री ग्यारसीराम जाति बलाई निवासी डोबडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी दरा स्टेशन तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. प्रताप आत्मज श्री चन्दरिया, जाति बलाई निवासी डोबडा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 15/111 में एवं अपील संख्या 15/230 में रेस्पोडेन्ट क्रम 3 की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से अपील संख्या 15/111
3. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 15/230 में

निर्णय

दिनांक: 05.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णयएवं डिक्री दिनांक 24.03.2015 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय की होने से तथा समान पक्षकार होने तथा एक ही आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया रहा है । निर्णय अलग–अलग संलग्न किया जावे ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मृतक ग्यारसा राम ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एवं वाद वास्ते घोषणा व विभाजन का ग्राम पदमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि लक्ष्मण जी आत्मज गोरधन जी के खातेदारी की भूमि थी । लक्ष्मण जी के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि अकेले चन्दरिया की खातेदारी में दर्ज कर दी तथा वादी का नाम उक्त भूमि में दर्ज नहीं किया । बन्दोबस्त में उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 11 रकबा 22 ब ीघा 04 बिस्वा कायम कर पट्टा चन्दरिया के नाबालिग लडाका प्रताप प्रतिवादी क्रम 1 जरिये संरक्षक वादी जारी किया तथा एक पट्टा आराजी खसरा नम्बर 13 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा कायम कर प्रताप व ग्यारस्या वादी के नाम से जारी किया । वर्तमान सेटलमेंट में इस आराजी के नये खसरा नम्बर 15 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 16 की 0.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 17 की 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 22 की 1.15 हैक्टर तथा पुराने खसरा नम्बर 13 के नये खसरा नम्बर 21 की 0.29 हैक्टर कायम कर उक्त भूमि प्रताप प्रतिवादी क्रम 1 की खातेदारी में आराजी खसरा नम्बर 21 की आराजी वादी व प्रताप प्रतिवादी क्रम 1 की खातेदारी में तथा अवैध रूप से खसरा नम्बर 16 की आराजी प्रतिवादी क्रम 2 की खातेदारी में दर्ज कर दी जबकि सम्पूर्ण आराजी वादी व प्रतिवादी क्रम 1 प्रताप की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । प्रतिवादी क्रम 2 का वादग्रस्त आराजी से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । सम्पूर्ण आराजी वादी के पिता की है जिनके स्वर्गवास के पश्चात् वादी व प्रतिवादी क्रम 1 समान रूप से इस आराजी के संयुक्त खातेदार हैं तथा वादी छोटा होने से नाम दर्ज नहीं करने मात्र से वादी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है ।

4. अतः वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 को सामन हिस्से संयुक्त खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 को 1/2 – 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए तहसीलदार लाडपुरा को उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णयएवं डिक्री दिनांक 24.03.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 प्रताप एवं प्रतिवादी क्रम 2 की पुत्री सलोचना ने अलग–अलग अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील संख्या 15/230 में अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.06.2015 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

अपीलान्ट संख्या 15/111 दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपील संख्या 15/230 सब्जेक्ट टू लिमिटेसन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपील संख्या 15/111 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के पिता मृतक डालू का नाम खातेदारी में दर्ज था । डालू की मृत्यु के बाद उनकी एकमात्र वारिस अपीलान्ट है जो रिकॉर्डेड खातेदार चली आ रही है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के पिता को बतौर प्रतिवादी क्रम 2 बनया गया था लेकिन उनकी मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारिस अर्थात् अपीलान्ट को कायममुकामन रिकॉर्ड पर लिये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी मृतक पक्षकार के विरूद्ध डिक्री पारित नहीं की जा सकती। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 16 की 0.68 भूमि पर अपीलान्ट के पिता पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्डेड खातेदार को सुने बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. अपील सख्यां 15/230 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा जो भूमि बताई है वह कोई और भूमि है जिसे रेस्पोडेन्ट मृतक ग्यारसा ने पूर्व में ही बेचान व खुर्द–बुद कर दिया है । उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता चन्दरिया जी की एकमात्र तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। अपीलान्ट ने इस भूमि पर बैंक से ऋृण लिया हुआ है । गत खसरा नम्बर 11 की रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर ग्यारसीराम आत्मज माधो नाथ मीणा ने पूर्व में नाजायज कब्जा कर लिया था । अपीलान्ट ने ही ग्यारसीराम के विरूद्ध मुकदमेबाजी कर उक्त भूमि का कब्जा वापस प्राप्त किया है और नामान्तरकरण निरस्त करवाकर भूमि अपने खाते दर्ज करवाई है । उक्त आराजी में रेस्पोडेन्ट वादी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 11 एवे 13 नम्बर लक्ष्मण जी की खातेदारी से बने हैं । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 11 पर अपीलान्ट एवं उसके पूर्वज पिछले 80 वर्षों से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं उक्त आराजी में अपीलान्ट को समस्त हक व अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है । इंतकाल संख्या 31 दिनांक 11.04.1937 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा तत्समय कोई भी अपील प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण उक्त इंतकाल आदेश अंतिम हो चुका है और उक्त आराजी में चन्दरिया जी व उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट को सभी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.2015 निरस्त किया जावे और ग्राम पदमपुरा की आराजी खसरा नम्बर 16 की रकबा 0.68 आराजी का अपीलान्ट को खातेदार घोषित कर रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के स्थान पर अपीलान्ट का नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट सुलोचना के पिता डालू को बतौर प्रतिवादी क्रम 2 बनाया गया था लेकिन उनकी मृतयु उपरान्त उनके विधिक वारिस अर्थात अपीलान्ट को कायममुकामान रिकॉर्ड पर लिये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी मृतक पक्षकार के विरूद्ध डिक्री पारित नहीं की जा सकती और इसलिए रेस्पोडेन्ट क्रम 1 उक्त वाद में तथ्यों को छुपाते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित

जो विधिक नहीं है और ऐसी डिक्री को प्रभावी नहीं रखा जा सकता । प्रस्तुत प्रकरण ने वाद यह स्पष्ट हो गया था कि इस वाद में अपीलान्ट के पिता डालू पक्षकार हैं और मृत्यु हो चुकी है तथा वादी ने उनके विधिक वारिसों को पक्षकार बनाये बिना ही उक्त निर्णय पारित करवा लिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 16 की 0.68 हैक्टर अपीलान्ट के पिता मृतक डालू के नाम खातेदारी में पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से दर्ज थी । उक्त भूमि का मालिक अपीलान्ट का पिता डालू था । डालू के खाते दर्ज के आदेश एवं इंतकाल को किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी । न्याय का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार को सुने बिना प्रकारण का निस्तारण नहीं करना चाहिए लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को न तो सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया है और न ही अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में जो वाद पेश किया गया है उसमें किसी प्रकार से इंतकाल दुरूस्ती आदि का अनुतोष नहीं चाहा था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद में मांगी गई प्रार्थना से हटकर आदेश पारित कर दिया जबकि वर्तमान में उक्त खसरा के खातेदार डालू नहीं है और अपीलान्ट है इसलिए ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट 1/1 के लायक अधिक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि लक्ष्मण जी आत्मज गोरधन जी के खातेदारी की भूमि थी । लक्ष्मण जी के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि अकेले चन्दरिया की खातेदारी में दर्ज कर दी तथा वादी रेस्पोडेन्ट के पति मृतक ग्यारसा का नाम उक्त भूमि में दर्ज नहीं किया । बन्दोबस्त में उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 11 रकबा 22 बीघा 04 बिस्वा कायम कर पट्टा चन्दरिया के नाबालिग लडका प्रताप प्रतिवादी कम 1 जरिये संरक्षक वादी जारी किया तथा एक पट्टा आराजी खसरा नम्बर 13 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा कायम कर प्रताप व ग्यारस्या वादी के नाम से जारी किया । वर्तमान सेटलमेंट में इस आराजी के नये खसरा नम्बर 15 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 16 की 0.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 17 की 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 22 की 1.15 हैक्टर तथा पुराने खसरा नम्बर 13 के नये खसरा नम्बर 21 की 0.29 हैक्टर कायम कर उक्त भूमि प्रताप की खातेदारी में आराजी खसरा नम्बर 21 की आराजी वादी व प्रताप प्रतिवादी कम 1 की खातेदारी में तथा अवैध रूप से खसरा नम्बर 16 की आराजी प्रतिवादी कम 2 डालू की खातेदारी में दर्ज कर दी जबकि सम्पूर्ण आराजी वादी व प्रतिवादी कम 1 प्रताप की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । प्रतिवादी कम 2 डालू का वादग्रस्त आराजी से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03. 2015 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किय एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं गवाह बयानों का अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रतिवादी कम 1 प्रताप ने स्वयं स्वीकार किया है कि वादी रेस्पोडेन्ट मृतक ग्यारसीराम उसके पिता चन्दरिया के सगे भाई थे तथा वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है । उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति

उक्त भूमि में मृतक ग्यारसीराम का 1/2 हिस्सा दर्ज है । प्रतिवादी क्रम 1 के गवाह ...लाल ने भी अपने बयानों में ग्यारसीराम व चन्दरिया को सगे भाई होना बताया है तथा उक्त ... को पैतृक होना कथन किया है । इस प्रकार उक्त भूमि में वादी रेस्पोडेन्ट मृतक ग्यारसा का 1/2 हक हिस्सा निहित है जिसे वह प्राप्त करने का अधिकारी है ।

13. प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 1 प्रताप ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा होना कथन किया है । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं गवाह बयान से पूर्णतया साबित है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है जिसे वादी का 1/2 हक हिस्सा निहित है और वह अपने हिस्से की भूमि को प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 15/111 एवं 15/230 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयएवं डिक्री दिनांक 24.03.2015 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 05.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)<br>
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

# अपील में डिक्री

**(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)**

## राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.**

**अपील संख्या : 15/111**

प्रताप आत्मज श्री चन्दरिया, जाति बलाई निवासी डोबडा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
—अपील

**बनाम**

1. ग्यारसी राम उर्फ ग्यारस्या आत्मज लक्ष्मण जाति बलाई (मृतक) जरिये कायममुकामान– मोडू लाल आत्मज श्री ग्यारसीराम जाति बलाई निवासी डोबडा तहसील लाडपुरा जि कोटा हाल निवासी दरा स्टेशन तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. डालू आत्मज श्री काना जाति मीना निवासी डोबडा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ज कायममुकाम सलोचना पुत्र डालू पत्नी धनराज जाति मीना निवासी ग्राम पानाहेडा तहस कनवास जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—प्र

**अपील संख्या : 15/230**

सुलोचना बाई पत्नी धनराज एवं पुत्री डालू जी आयु 45 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम पाना तहसील कनवास जिला कोटा ।
—अ

**बनाम**

1. मोत्या बाई बेवा ग्यारसीराम जाति बलाई (नाम तर्क )
2. मोडू लाल आत्मज श्री ग्यारसीराम जाति बलाई निवासी डोबडा तहसील लाडपुरा जिला हाल निवासी दरा स्टेशन तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. प्रताप आत्मज श्री चन्दरिया, जाति बलाई निवासी डोबडा उप तहसील मण्डाना जिला कोट
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—

**बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.2015 अधीनस्थ न्यायालय सहायक क एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।**

्या: 527/दावा/2009

्यारसीराम उर्फ ग्यारस्या आत्मज लक्ष्मण जाति बलाई (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1/1. मोत्या बेवा ग्यारसीराम

1/2. मोडू लाल आत्मज ग्यारसीराम जाति बलाई निवासी डोबडा तहसील लाडपुरा हाल निवासी दरा स्टेशन तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——वादी

**बनाम**

1. प्रताप आत्मज चन्दरिया जाति बलाई निवासी डोबडा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
2. डालू आत्मज काना जाति मीना निवासी डोबडा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवा

## अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्र (मुख्यालय) कोटा .के निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.03.2015 की अपील न्यायालय राज अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्याया द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे

2. यह अपील तारीख 05.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री र खण्डेलवाल अपील संख्या 15/111 एवं अपील संख्या 15/230 में रेस्पोडेन्ट कम 3 की ओर प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट कम 1/1 की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय एवं अभिभाषक अशोक गुप्ता अपील संख्या 15/230 में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित आने पर यह आदेश कि दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 15/111 एवं 15/230 खारिज की जाती है । अधी न्यायालय द्वारा पारित निर्णयएवं डिकी दिनांक 24.03.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिकी आज तारीख 05.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी ग

**मुहर**

(पंकज कुमार ओझा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,